25.9.24	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय हो चुका है। प्रकरण मे पुन: माजिद बहस सुनी गई. आदेश आज ही पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। अपील अपीलान्ट की स्वीकार कि जाती है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

अपील संख्या :– 3/2020

1. लवकुमार उर्फ लेखपाल पिता स्व0 रामचन्द्रदास जी जाति बैरागी निवासी बेगूँ
2. कांता पिता स्व0 रामचन्द्रदास जी जाति बैरागी निवासी बेगूँ
3. शकुन्तला पिता स्व0 रामचन्द्रदास जी जाति बैरागी निवासी बेगूँ
4. ब्रहमानंद पिता मदनलाल जी बैरागी निवासी विक्रमपुरा तह0 बिलोलिया

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लालीबाई पिता स्व0 रामचन्द्र दास जी जाति बैरागी निवासी बेगूँ हाल पत्नी राजकुमार जी बैरागी निवासी रूपपुरा तहसील बेगूँ
2. सरपंच ग्राम पंचायत ऑवलहेडा तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1

आदेश दिनांक ::– 25.09.2024

आदेश अपील नामान्तरण संख्या 483 ग्राम रूपपुरा निर्णित द्वारा ग्राम पंचायत ऑवलहेडा निर्णय दिनांक 20.05.2020

अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत निवेदन इस प्रकार किया है कि ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का ऑवलहेडा तहसील बेगूँ के नामान्तरण संख्या 483 निर्णय दिनांक 20.05.2020 पर ग्राम पंचायत ऑवलहेडा द्वारा मृतक खातेदार रामचन्द्रदास पिता माधुदास जी बैरागी निवासी बेगूँ की विरासत के आधारपर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रस्तुत है :–

1– यह कि ग्राम रूपपुरा के मृतक खातेदार रामचन्द्रदास पिता माधुदास जी बैरागी निवासी बेगूँ जो अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व अपीलान्ट संख्या 4 के नाना थे की मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरण संख्या 483 हल्का पटवारी ने वसियत के आधार पर बिना किसी वैद्व एवं विधिक आदेश के प्रस्तावित किया। जबकि हल्का पटवारी को वसियत के आधार पर बिना सक्षम स्वीकृति के नामान्तरण प्रस्तावित करने का ही अधिकार नहीं था। भू– अभिलेख निर्रीक्षक ने भी इस पर विधिक टिप्पणी नहीं की एवं मात्र खाना पूर्ति कर दी।

2– यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ऑवलहेडा ने उक्त नामान्तरण को अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर वसीयत के आधार पर नामान्तरण कियके जाने के ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं होते हुए बिना कौरम एवं बिना पत्रावली दर्ज किये, बिना किसी तरह की विधिक जॉच पडताल किये, नामांन्तरण निर्णित कर दिया जो एक अवैध आदेश/ निर्णय की परिभाषा में आता है एवं निरस्त योग्य है।

3– यह कि वसियत के आधार पर विरासत/नामान्तरण तय करने के लिए वसियत की वैधता एवं प्रीााव के बारे में दिये गये विधिक बिन्दुओं एवं कानूनी तथ्यों की जॉच किये बिना, विधिक एवं प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को सुने बिना, एक तथाकथित अवैध निष्प्रभावी एवं शुन्य वसियत के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर उक्त नामान्तरण निप्रय करने में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत ऑवलहेडा ने भूल की है जिससे निर्णय निरस्त योग्य है।

4– यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वसियतपत्र एक अवैध एवं निष्प्रभावी दस्तावेज होकर विधि प्रावधानानुसार तेयार किया हुआ दस्तावेज नहीं होने से अपिलान्ट्स के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के विधिक अधिकारों के मुकाबले चलने योग्य नहीं होते हुए ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरण निर्णित करने में भूल की है जिससे निर्णय नामान्तरण निरस्त योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि दिनांक 20.05.2020 को कोविड 19 (कोरोना वायरस) के प्रभावी रहने के कारण पंचायतो के द्वारा बैठक नहीं किये जाने के राज्य सरकार के निर्देश होने एवं इस अवधि तहसीलदार साहब को नामान्तरण निर्णय की शक्तियां प्रदत्त की हुई होने बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरण पर निर्णय करने मे भूल की है जिससे निर्णय नामान्तरण निरस्त योग्य है।

6— यह कि नामान्तरण अपील सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील नामान्तनरण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

7— यह कि नामान्तरण संख्या 483 का निर्णय दिनांक 20.05.2020 को होकर इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15.07.2020 को नामान्तरण एवं राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने से हुई है, एवं नकले प्राप्त होते ही नामान्तरण अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है साथ ही उक्त नामान्तरण निर्णय से अब तक की अवधि में कोरोना वाईरस प्रभाव होने से न्यायालयी कार्य स्थगित होने एवं इस अवधि को स्वतः कंडोन किये जाने के आदेश प्रसारित होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। फिर भी कानूनी पैदचगी से बचने के लिए दिनांक 20.05.2020 से दिनांक 20.07.2020 तक की अवधि को कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अन्य कारण वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

8— यह कि अपील नामान्तरण अपीलार्थी की ओर से पूर्ण न्याय शुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस व नकलो के प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि मौजा रूपपुरा पटवार हल्का ऑवलहेडा तहसील बेगूँ के नामान्तरण संख्या 483 पर रामचन्द्रदास की मृत्यु हो जाने से दिये गये अवैध एव विधिक विपरित निर्णय को निरस्त फरमा, सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण यिके जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का एवं शपथ पत्र संलग्न कर न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये। बाद जॉच अपीलान्ट अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र टेलर द्वारा अपना अधिकार पत्र इस अपील पत्र मे प्रस्तुत किया रेस्पो0 सं0 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गयें।

इस अपील पत्र मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 मियाद अधिनयम का जवाब अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया है कि जो नामान्तरण संख्या 483 वसीयत के आधार पर दिनांक 20.05.2020 को ग्राम पंचायत ऑवलहेडा द्वारा निर्णित किया जाना सही है लेकिन शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। चूँकि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। इसलिए विरासत तय करने का कोई कारण नहीं है।

प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट अपने प्रार्थना त्र में कलम सं. 1 में जानकारी होना ही 15.07.2020 को बताया तो कोरोना काल का आधार अपने आप गलत हो जाता हैं। चूंकि वसीयतकर्ता की निजी सम्पत्ति की वसीयत की गई है जिससे अपीलान्ट के कोई विधिक अधिकारों का निर्णय नहीं होना था यह नही वसीयत कर्ता द्वारा वसीयत की गई थी उसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी अपीलान्ट को थी, एवं स्व. अर्जित सम्पत्ति की वसीयत आधार पर नार्मान्तरण निर्णित किया गया जो विधि आधार पर नामान्तरण निर्णित किया गया जो विधि प्रावधानों अनुसार ही किया गया इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की वो विधिनुसार की गई है इसलिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह कही भी नही लिखा कि दिनांक 15.07.2020 को राजस्व रेकार्ड नकल प्राप्त करने की आवश्यकता क्यो और कैसे हुई। अपीलान्ट और विपक्षिया रेस्पोडेन्ट दोनो सगे भाई बहन है, जिससे वसीयत की जानकारी अपीलान्ट को पहले से थी। वसीयत को किसी न्यायालय में अब तक चुनौती नहीं दी गई है। वसीयत आज भी वैद्य दस्तावेज के रूप में विद्यमान होने से प्रार्थी अपीलान्ट का यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट अपने विधिक अधिकारो के लिए नियमित वाद लाने के लिए स्वतंत्र था जिसका उपयोग प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अब तक नहीं किया। अपील नामान्तरण कानूनन विधिक अधिकारो का विनिश्चिय नहीं हो सकता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थी/ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दफा 5 का प्रस्तुत होने के पश्चात प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस अपील पत्र पर सुने जाने हेतु आवाज दिलाई गई, प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पो.सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया ,रेस्पोडेन्ट सं. 1 को न्यायालय में आवाज दिलाने पर वे हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अपील पत्रावली पर अधिवक्ता अपीलान्ट की एक तरफा बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस को अपील पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोला है, दिनांक 20.05.2020 को कोरोना वायरस था सभी कार्यालय बंद होने के आदेश थे। खोले गये नामान्तरण पर प्रस्ताव संख्या नहीं है। वसीयत का निर्धारण तहसीलदार ही कर सकता है। विधिक उत्तराधिकारियों को सुना नही गया है। यह नामान्तरण निरस्त कर सभी के नाम पर नामान्तरण किया जावें। कोविड के चलते लिमिटेशन को सुप्रिम कोर्ट ने कन्डोन कर रखा है। वसीयत का नामान्तरण केवल तहसीलदार ही कर सकता है, वादी/ प्रतिवादी मे से जो भी लीगल उत्तराधिकारी हो उनको दिया जावे। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जो न्यायिक उद्हरण प्रस्तुत किये गये उनमें आर आर डी 14.01.2016 पेज 28 यादराम ब्राम्हण बनाम रविन्द्र कुमार ब्राम्हण रिविजन नं0 866/भरतपुर 2008 निर्णय दिनांक 4 सितम्बर, 2015 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जिसमे उल्लेख किया गया है " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 135 व 84– वाई के पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयत के आधारपर म्यूटेशन तस्दीक किया तथा वसीयतकर्ता द्वारा आर के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा निरस्त यिका– एस.डी.ओ. ने म्यूटेशन निरस्त किया और आर के नाम म्यूटेशन खोलने का आदेश दिया– अपील खारिज हुई– ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को नोटिस जारी नहीं किया– विवादित म्यूटेशन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को क्षैत्राधिकारिता नहीं है– गोदनामा व वसीयत विवादित है– निर्णित आदेश अपास्त किये और पुनः निर्णित करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित।"

न्यायिक उद्हरण आर आर डी 14.08.2017 भूरा बनाम मोहन आदि रिविजन नं0 10798/बाडमेर 1998 निर्णय दिनांक 15 मई, 2017 में" राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा 84–मृतक का नामान्तरण उसके तीनों पुत्रो के नाम खुला एक पुत्र ने वसीयत के आधार पर अपील प्रस्तुत की प्रस्तुत अति. कलक्टर ने अपील खारिज की संभागीय आयुक्त ने भी द्वितीय अपील खारिज की उक्त आदेश के विरूद्ध मण्डल मे निगरानी अभिनिर्धारित इन्तकाल एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें वसीयत जैसे जटिल कानूनी बिन्दु को निर्णित नहीं किया जा सकता– वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं अधिनियम की धारा 68 के तहत साबित करना होता है जो नियमित वाद के माध्यम से ही तय हो सकता है– अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं"। उपरोक्त निष्कर्षानुसार वसीयत के आधार पर इन्तकाल जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में कोई हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। जहां प्राकृतिक उत्तराधिकार तथा वसीयत के आधार पर विवाद हो वहा प्राकृतिक उत्तराधिकार को अधिमान्यता दी जानी चाहिए। वसीयत के आधार पर नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियक के तहत अधिकारो की घोषणा करवाई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त आर आर टी 2016 पेज 1099 से 1102 तक की छायाप्रति प्रस्तुत की है। और न्यायिक उद्हरण अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिनका भी हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया है। अब अपीलान्ट द्वारा अपने अपील पत्र में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनका भी हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया, प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 483 निर्णित दिनांक 20.5.2020 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत ऑवलहेडा द्वारा स्वीकृत किया गया है, का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। नामान्तरण में अंकित मौजा रूपपुरा प0ह0 ऑवलहेडा की आराजी संख्या 158, 165, 166, 167, 1580/153 कीता–5 कुल रकबा 3.4360 हैक्टर भूमि जो कि खातेदार रामचन्द्र पिता माधुदास बैरागी सा. बेगूँ के खाते की भूमि थी को रजिस्टर्ड वसीयत पंजीकृत कमांक 9 दिनांक 7.8.13 दस्तावेज कमांक 1249

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

दास फोत दिनांक 19.02.2020 को होने पर खोला गया है उक्त नामान्तरण पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट अंकित कर कि निवेदन है कि रामचन्द्रदास फोत हो चुके है।

अतः वसीयत अनुसार नामा.दायर कर पेश है। इस प्रकार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि अंकन पंजीकृत अनुसार है बाद जॉच निर्णित फरमावें। साथ में पंजीकृत वसीयत की प्रति व मृत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र दास का संलग्न पेश किया हैं।

इन सभी दस्तावेज के अवलोकन के पश्चात हम बहस अधिवक्ता अपीलान्ट से एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्हरण से सहमत है कि वसीयत का नामान्तरण केवल तहसीलदार द्वारा ही जॉच कर खोला जा सकता है। की गई वसीयत की वैद्यता एवं मृतक खातेदार के वैद्य वारिसान के सम्बन्ध में जॉच होने पर वर्णित कृषि आराजीयात का नामान्तरण खोला जाना चाहिए था, ग्रम पंचायत को केवल मृतक के विधिक वारिसान के नाम पर ही जॉच कर नामान्तरण खोला जाने तक का अधिकार है, सरपंच ग्राम पंचायत ऑवलहेडा द्वारा जो यह नामान्तरण खोला है वह अपने अधिकारो से हटकर खोला गया जो निरस्त होने योग्य है। हम उचित समझते है कि खातेदार द्वारा की गई वसीयत एवं मृतक खातेदार के वैद्य वारिसान के सम्बन्ध में जॉच तहसीलदार बेगूँ से करवाते हुए पुनः नामान्तरण खुलवाया जावें।

अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 483 ग्राम रूपपुरा निर्णित द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत ऑवलहेडा निर्णय दिनांक 20.05.2020 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार रामचन्द्रदास पिता माधुदास बैरागी साकिन बेगूँ के वैद्य वारिसान की नियमानुसार जॉच कर पुनः नामान्तरण खोल कर निर्णित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/487 दिनांक :- 26-9-24

अपील संख्या 3/2020 व अनवान लवकुमार उर्फ लेखपाल बनाम श्रीमति लालीबाई अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 483 ग्राम रूपपुरा निर्णित द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत ऑवलहेडा निर्णय दिनांक 20.05.2020 में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको पालनार्थ दी जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़